न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/04/2022	2022/56	07.07.2022	24.12.2025

1. श्रीमती हेम शर्मा पत्नी श्री रामप्रताप शर्मा निवासी 281, विजय नगर, अलवर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि सीताराम पुत्र श्री फूलचन्द शर्मा, निवासी थानागाजी तहसील थानागाजी, जिला अलवर राज0।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री सुरेश चन्द शर्मा पुत्र श्री कान्ती प्रसाद शर्मा,
2. महेश शर्मा पुत्र श्री कान्ती प्रसाद शर्मा,
   निवासीयान गोपीनाथ मंदिर के पास, थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।
3. भू–आवंटन सलाहकार समिति, थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970

उपस्थितः–
01–श्री जगदीश चंद सतीजा –वकील प्रार्थी
02–श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल –वकील अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

वकील प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम–14 (4) भूमि आवंटन आदेश दिनांक 09.09.1975 जिसके द्वारा अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पक्ष में ग्राम अमरा का बास, तहसील थानागाजी, जिला अलवर की साबिक आराजी खसरा न0 81 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा हाल आराजी खसरा न0 106 रकबा 0.92 है0 भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है आराजी साबिक खसरा नंबर 81 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा हाल नंबर 106 रकबा 0.92 है0 वाके ग्राम अमरा का बास तहसील थानागाजी जिला अलवर में स्थित है। जिसका भू–आवंटन सलाहकार समिति के यहां मु० मोता पत्नि जगन्नाथ जाति ब्राह्मण को दिनांक 09.09.1975 को आवंटन किया गया है। जिसके विरूद्ध प्रार्थना पत्र हाजा प्रस्तुत किया जा रहा है। मु० मोता बेवा जगन्नाथ का स्वर्गवास हो चुका है, जिसका एकमात्र वारिस पुत्र कान्ती प्रसाद था, जिसके अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं एक अन्य पुत्र बजरंग वारिस हुए, जिनमें बजरंग लावल्द फौत हो चुका है। इस प्रकार से मु० मोता के मौजूदा सूरत में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 विधिक वारिसान हैं।

मु० मोता ने भू–आवंटन सलाहकार समिति के यहाँ उक्त आराजी को आवंटन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर उसे दिनांक 09.09.1975 को उक्त आराजी अलॉट की गई थी, जो अलॉटमेन्ट विधि विरूद्ध है। क्योंकि मु० मोता भूमिहीन कृषक नहीं थी तथा वह जगन्नाथ के जीवनकाल से ही व्यापार करती थी और पैसा ब्याज पर देती थी व काश्तकारी जानती भी नहीं थी तथा उसके द्वारा खसरा नंबर साबिक 81 में 2 बीघा की सिफारिश की गई थी, जबकि उसे अलोटमेन्ट 3 बीघा 13 बिस्वा का कर दिया गया, जो आदेश खिलाफ कानून है। आवंटी द्वारा फ्रॉड करते हुए तथ्यों को छिपाते हुए आवंटन कराया गया जो विधि विरूद्ध है तथा निरस्त होने योग्य है।

अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

मु० मोता अथवा उनके वारिस अप्रार्थी 1 व 2 द्वारा आवंटनशुदा आराजी पर कब्जा प्राप्त नहीं किया, न ही आज तक अप्रार्थीगण का कब्जा उक्त आराजी पर रहा है, न ही उनके द्वारा आवंटन के पश्चात कभी काश्त की गई है, इस आधार पर भी उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से काबिल निरस्त है। आवंटन से पूर्व अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा कोई आवंटन हेतु उद्घोषणा जारी नहीं की गई है, न ही विधिवत अलोटमेन्ट किया गया। जबकि जिस आराजी को आवंटन होना बताया गया है, मौके पर हाल खसरा नंबर 118 को वह आवंटनशुदा आराजी बताया जा रहा है, जो मौके के खिलाफ है।

आवंटी मु० मोता द्वारा बाद तथाकथित आवंटन उक्त आराजी को कभी काश्त नहीं किया तथा आवंटन से संबंधित किसी भी नियम व शर्त की पालना नहीं की गई, न ही अप्रार्थी संख्या 3 एवं तहसीलदार साहब आदि ने नियमों की पालना की। बिना कोई जाचं किए गैर खातेदारी प्रदत्त किए गए हैं। उक्त आराजी खसरा नंबर 118 वाके ग्राम अमराका बास तहसील थानागाजी जिला अलवर पूर्व में श्रीमती उर्मिला पत्नि श्री पूरणमल शर्मा, निवासी थानागाजी हाल निवासी 159–160 विवेक विहार, दैनिक भास्कर के कब्जे काश्त खातेदारी की थी तथा उसके द्वारा उक्त आराजी पर चारों तरफ पक्की दीवार 6 फुट ऊँची का निर्माण किया हुआ था व मौके पर बोरिंग, जिसमें विद्युत कनेक्शन जारी है, मकान बनाया हुआ है तथा बगीचा बना रखा है, जिसमें आंवला नींबू मौसमी आदि फलों के वृक्ष लगाये हुए हैं, जो चार दीवारी से महफूज है तथा इसी कदर उक्त श्रीमती उर्मिला से मिन प्रार्थी ने उक्त आराजी को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 03.01.2022 पंजीकृत दिनांक 04.01.2022 क्रय कर लिया गया और प्रतिफल अदा करके कब्जा प्राप्त किया गया तथा इसी अनुसार प्रार्थी का कब्जा मौके पर आज भी चला आ रहा है।

आवंटन के संबंध में प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी। इस संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा माह जनवरी 2022 में उक्त आराजी पर श्रीमती उर्मिला व तदुपरांत मिन प्रार्थीया का अवैध कब्जा होना बताते हुए न्यायालय में कानूनी कर्यवाही की गई, तब पता चला। जिस बाबत प्रार्थीया द्वारा कानूनी परामर्श प्राप्त कर आवंटन से संबंधित दिनांक 27.06.2022 को नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया, जो नकलें प्राप्त होते ही यह प्रार्थना पत्र अविलम्ब पेश किया।

अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आलोच्य आवंटन आदेश दिनांक 09.09.1975 निरस्त फरमाया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में 2021(1) RRT 212, 2021(1) RRT 124, 2021(1) RRT 740, RRD 1994 PAGE 107, AIR 2020 RAJASTHAN 187 न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने लिखित जवाब पेश कर अपनी बहस में कथन किया है आराजी खसरा नंबर 81 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, जिसका हाल नंबर 106 रकबा 0.92 है० बना है, वाके ग्राम अमराकाबास तहसील थानागाजी जिला अलवर का आवंटन मु० मोता पत्नि श्री जगन्नाथ जाति ब्राह्मण को हुआ था। यह आवंटन दिनांक 09.09.1975 की बैठक कार्यवाही विवरण के आधार पर दिनांक 10.09.1975 को हुआ था। मु० मोता बेवा जगन्नाथ का स्वर्गवास हो चुका है, जिसका एकमात्र वारिस उसका पुत्र कान्ती प्रसाद था, जिसके मिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अलावा एक अन्य पुत्र बजरंग भी था, जिसका स्वर्गवास लावल्द हो चुका है। इस प्रकार से वर्तमान में मिन अप्रार्थी सं० 1 व 2 ही मृतका मु० मोता के विधिक वारिसान है। मु० मोता को भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त आराजी अलॉट हुई थी। मु० मोता भूमिहीन कृषक थी और बेवा होने के कारण उसकी स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। मु० मोता के पति जगन्नाथ मन्दिर के पुजारी थे, जिस मंदिर में जो चढावा आटा, चांवल, दाल आदि आता था, उससे ही उनका गुजर बसर होता था। मु० मोता ने अपने जीवनकाल में न तो कभी कोई व्यापार किया, न वह किसी को पैसा ब्याज पर देती थी। जब उसकी स्वयं की ही हालत दयनीय थी, तो उसके द्वारा किसी तरह का व्यापार करने व ब्याज पर पैसा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मु० मोता ने कोई 2 बीघा आराजी की सिफारिश नहीं की थी। मु० मोता को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमानुसार विधिवत तरीक पर निर्धारित प्रक्रियानुसार आराजी खसरा नंबर 81 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा का आवंटन किया गया था, जिसे प्रार्थी निरस्त कराने का कतई अधिकारी नहीं है। एक विधवा गरीब ग्रामीण महिला द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए इस तरह के कार्यों में किसी तरह का फ्रॉड करना संभव ही नहीं था।

अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

प्रार्थी ने जानबूझकर गलत तथ्यों को आधार बनाकर मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो काबिल खारिज है।

प्रार्थी का यह कहना कि आवंटी द्वारा आवंटित शुदा आराजी का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया और आज तक मिन अप्रार्थीगण का कब्जा नहीं रहा है, सरासर गलत है। आवंटी मु० मोता द्वारा बाद आवंटन अलॉट्शुदा आराजी का कब्जा प्राप्त करके बाकायदा मौके पर कार्य काश्तकारी चालू कर दिया था तथा उसका नाम बतौर गैरखातेदार राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया तथा मु० मोता जब तक जीवित रही, विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करती रही और उसके स्वर्गवास के बाद मिन अप्रार्थीगण के पिता श्री कान्ती पुत्र श्री जगन्नाथ के नाम बाकायदा विरासत इंतकाल संख्या 76 दिनांक 21.05.1982 को दर्ज मंजूर हुआ था तथा मिन अप्रार्थीगण के पिता श्री कान्ती भी अपने जीवनकाल में विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते रहे और उनके स्वर्गवास के बाद उनकी विरासत का इंतकाल संख्या 104 दिनांक 02.07.1985 विधिवत तरीक पर मिन अप्रार्थीगण व उनके भाई बजरंग के नाम दर्ज व स्वीकृत हुआ और तीनों भाई विवादित आराजी पर कब्जा काश्त करते रहे। इस कारण वर्ष 1975 में अलॉटमेन्ट के 15 वर्ष बाद गैरखातेदारी से खातेदारी प्राप्त हुई, जिसका इंतकाल संख्या 116 दिनांक 30.07.1990 दर्ज व स्वीकृत हुआ। मु० मोता व उसके बाद उसके विधिक वारिसान विवादित आराजी पर बदस्तूर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं। ताईद में नकल खसरा गिरदावरी संवत 2066 से 2078 संलग्न कर प्रस्तुत है।

अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा विधि अनुसार उद्घोषणा जारी की गई है व उसके बाद विधिवत आवंटन किया गया था। खसरा नंबर 118 रकबा 2.11 है०, जिसका साबिक नंबर 87 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा का अलग तितम्बा लट्ठा नक्शा है एवं खसरा नंबर 106 रकबा 0.92 है०, जिसका साबिक खसरा नंबर 81 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा का अलग तितम्बा लट्ठा नक्शा है। जैसा कि संवत 2028 व 2060 के नक्शा तितम्बा से साबित होता है, जो कि संलग्न कर प्रस्तुत किया जा रहा है। काबिले गौर श्रीमान् है कि वर्तमान में आराजी खसरा नंबर 118 रकबा 2.11 है0 व 106 रकबा 0.92 है० मौके पर छह फुट ऊँची चारदीवारी से सुरक्षित है। दोनों खसरा नबरान के खातेदार अपनी–अपनी आवंटनशुदा एवं खरीदशुदा आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। दिनांक 26.05.2022 को खसरा नंबर 106 रकबा 0.92 है० के खातेदारों के आपसी राजीनामे के आधार पर तहसीलदार थानागाजी के आदेश से पैमाईश भी हुई थी। खसरा नंबर 106 के खातेदारों को खसरा नंबर 112 किस्म गै० मु० जंगलात व खसरा नंबर 113 किस्म गै० मु० चाह को मुस्तकिल बिन्दू मानकर खसरा नंबर 106 का उत्तर–पश्चिम कोना राजस्व नक्शा मुताबिक जरीब चलाकर सीमाज्ञान कराया गया था। ताईद में नकल रिपोर्ट पैमाइश संलग्न कर प्रस्तुत है।

प्रार्थी का यह कहना कि आवंटी मु० मोता द्वारा बाद आवंटन आराजी को कभी काश्त नहीं किया गया तथा आवंटन से संबंधित किसी भी नियम व शर्त की पालना नहीं की गई व अप्रार्थी संख्या 3 एवं तहसीलदार आदि ने नियमों की पालना नहीं की, सरासर गलत, मिथ्या व निराधार है। बल्कि आवंटन के बाद मु० मोता का कब्जा काश्त बदस्तूर रहा और आवंटन से सम्बन्धित नियमों की विधि अनुसार पालना की गयी थी। यदि मु० मोता व उसके जायज वारिस कान्ती व मिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं होता तो गैरखातेदारी से खातेदारी प्राप्त ही नहीं हो सकती थी और राजस्व अभिलेख में इन्द्राज ही नहीं होते। मु० मोता व उसके जायज वारिसान द्वारा उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त किया गया, पेड़ उगाये गये, फसल पैदा की गई और इसी कारण गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदान की गयी थी। वर्तमान में भी मिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं माया शर्मा पत्नि हेमन्त कुमार शर्मा एवं सविता शर्मा पत्नि चेतन प्रकाश शर्मा, निवासीयान थानागाजी जिला अलवर आराजी मुतनाजा काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं व मिन अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। खसरा गिरदावरी संवत 2066 से 2078 के अनुसार सुरेश, महेश व बजरंग ने रबी व खरीफ की फसल बाजरा व गेहुँ व कभी कभी ग्वार की फसल बोयी है। इसके अलावा वर्ष 2020 में मिन अप्रार्थीगण ने बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा थानगाजी से इसी आराजी पर ऋण भी लिया था, जो ऋण कब्जे आदि की जांच के बाद ही खातेदार सुरेश के 1/3 हिस्से के लिए के.सी.सी. कार्ड के तहत दिया गया था। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में तमाम

24/12/25
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

वाकेआत मौका कब्जा व रिकॉर्ड के खिलाफ मनमाने तरीक पर एवं गलत व मिथ्या तथ्यों को आधार बनाकर अंकित किए हैं। प्रार्थी का यह कहना कि बिना कोई जांच किए विधि विरूद्ध गैरखातेदारी दी गई है, सरासर गलत व निराधार है। प्राथी ने तमाम तथ्य महज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की मंशा से औपचारिक रूप से दर्ज किए हैं।

खसरा नंबर 118 रकबा 2.11 है0 किस्म चाही द्वितीय, 117 रकबा 01 ऐयर किस्म गै०मु० चाह वाके ग्राम अमराकाबास की पूर्व खातेदार उर्मिला पत्नि श्री पूरणमल शर्मा के कब्जे काश्त खातेदारी की थी। खसरा नंबर 118 रकबा 2.11 है०, जिसका साबिक खसरा नंबर 87 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा था, का आवंटन सोहनलाल पुत्र शंकरलाल कौम सुनार साकिन थानागाजी को किया गया था। आवंटन दिनांक 18.05.1968 के तहत खातेदारी का अंकन दि० 03.05.1980 को हो गया था। सोहनलाल के फौत होने के बाद उसकी विरासत का इंतकाल चमेली बेवा सोहनलाल के नाम खोला गया। खसरा नंबर 87 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा के बयनामा का इंतकाल संख्या 94 दि० 10.08.1984 को उर्मिला पत्नी पूरणमल शर्मा नि० थानागाजी के नाम खोला गया। साबिक नंबर 87 हाल खसरा नंबर 118 रकबा 2.11 है० का विक्रय बाकायदा जरिये बयनामा दिनांक 03.01.2022 पंजीकृत दि० 04.01.2022 प्रार्थीया श्रीमती हेम शर्मा पत्नि श्री रामप्रताप ब्राह्मण निवासी 281 विजय नगर अलवर को किया गया था। उक्त आराजी एवं खसरा नंबर 106 रकबा 0.92 हैक्टेयर मौके पर चारदीवारी से महफूज है जिसमें खातेदारों के अपने—अपने हिस्से में फलदार वृक्ष के अलावा नींबू व आंवला के पेड़ भी लगे हुए हैं तथा मकान खसरा नंबर 118 में बना हुआ है। दिनांक 26.05.22 को खसरा नंबर 106 रकबा 92 ऐयर के खातेदारों की आपसी सहमति के आधार पर तहसीलदार यानगााजी के आदेश से पैमाईश भी की गई थी, जो पैमाईश रिर्पोट की प्रति संलग्न है।

मिन अप्राथी संख्या 1 व 2 द्वारा माह जनवरी 2022 में खसरा नंबर 106 रकबा 92 ऐयर व 118 रकबा 2.11 है० के संबंध में अवैध कब्जा बताते हुए न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्रार्थीया आवंटन को निरस्त कराने की कतई अधिकारी नहीं है। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र बिना अधिकार, गलत तथ्यों के साथ एवं मियाद बाहर पेश किया है, जो काबिल खारिज है।

विवादित आराजी खसरा नंबर 106 रकबा 92 ऐयर वर्तमान में सुरेश 1/3 हिस्सा, महेश 8/69 हिस्सा व सविता शर्मा एवं माया शर्मा प्रत्येक 5/46 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड हैं, जिनमें से महेश शर्मा ने अपना हिस्सा यानि 1/3 हिस्से में से सविता शर्मा को 5/46 हिस्सा एवं माया शर्मा को 5/46 हिस्सा जर्ये बयनामा दिनांक 21.02.2022 के विक्रय कर दिया गया था, जिसका इंतकाल दि० 05.05.2022 को स्वीकार होकर कागजात माल में अमल भी हो चुका है और इसी अनुसार महेश शर्मा एवं सविता शर्मा व माया शर्मा मौके पर अपने अपने हिस्सेनुसार मौके पर काबिज है किन्तु सविता शर्मा व माया शर्मा को जाबनूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया, जिससे भी आलोच्य आदेश काबिल खारिज है। वर्तमान प्रार्थना पत्र प्रार्थीया हेम शर्मा की ओर से तथाकथित अधिकृत प्रतिनिधि सीताराम पुत्र फूलचन्द शर्मा निवासी थानागाजी द्वारा अपने हस्ताक्षरों से पेश किया गया है, किन्तु इस सम्बन्ध में किसी तरह की पावर ऑफ अटॉर्नी का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में सीताराम शर्मा को न तो प्रार्थीया हेम शर्मा का अधिकृत प्रतिनिधि माना जा सकता है, न ही उसे मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई हक एवं अधिकार विधिवत रूप से प्राप्त है। इस प्रकार से वर्तमान प्रार्थना पत्र अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा अपने हस्ताक्षरों से विधि विरूद्ध तरीक पर प्रस्तुत किया गया है। इसलिए सर्वप्रथम तो प्रार्थना पत्र इसी आधार पर काबिल खारिज है।

आवंटी मु० मोता द्वारा बाद आवंटन अलॉट्शुदा आराजी का कब्जा प्राप्त करके बाकायदा मौके पर कार्य काश्तकारी चालू कर दियो गया था तथा उसका नाम बतौर गैरखातेदार राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया तथा मु० मोता जब तक जीवित रही विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करती रही और उसके स्वर्गवास के बाद मिन अप्रार्थीगण के पिता श्री कान्ती पुत्र श्री जगन्नाथ के नाम बाकायदा विरासत इंतकाल संख्या 76 दिनांक 21.05.1982 को दर्ज मंजूर हुआ था तथा मिन अप्रार्थीगण के पिता श्री कान्ती भी अपने जीवनकाल में विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते रहे और उनके स्वर्गवास के बाद उनकी विरासत का इंतकाल संख्या 104 दिनांक 02.07.1985 विधिवत तरीक पर मिन अप्रार्थीगण व

24/12/25
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

उनके भाई बजरंग के नाम दर्ज व स्वीकृत हुआ और तीनों भाई विवादित आराजी पर कब्जा काश्त करते रहे। इस कारण वर्ष 1975 में अलॉटमेन्ट के 15 वर्ष बाद गैरखातेदारी से खातेदारी प्राप्त हुई, जिसका इंतकाल सं0 116 दिनांक 30.07.1990 दर्ज व स्वीकृत हुआ। मु० मोता व उसके बाद उसके विधिक वारिसान विवादित आराजी पर बदस्तूर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं। वर्तमान में आराजी खसरा नंबर 118 रकबा 2.11 है० व 106 रकबा 0.92 है० मौके पर छह फुट ऊँची चारदीवारी से सुरक्षित है। दोनों खसरा नवरान के खातेदार अपनी–अपनी आवंटनशुदा एवं खरीदशुदा आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। दिनांक 16.05.2022 को खसरा नंबर 106 रकबा 0.92 है० के खातेदारों के आपसी राजीनामे के आधार पर तहसीलदार थानागाजी के आदेश से पैमाईश भी हुई थी। खसरा नंबर 106 के खातेदारों को खसरा नंबर 112 किस्म गै० मु० जंगलात व खसरा नंबर 113 किस्म गै० मु० चाह को मुस्तकिल बिन्दू मानकर खसरा नंबर 106 का उत्तर–पश्चिम कोना राजस्व नक्शा मुताबिक जरीब चलाकर सीमाज्ञान कराया गया था। ताईद में नकल रिपोर्ट पैमाइश संलग्न कर प्रस्तुत है।

खसरा गिरदावरी संवत 2066 से 2078 के अनुसार सुरेश, महेश व बजरंग ने रबी व खरीफ की फसल बाजरा व गेहुँ व कभी कभी ग्वार की फसल बोयी है। इसके अलावा वर्ष 2020 में मिन अप्रार्थीगण ने बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा थानगाजी से इसी आराजी पर ऋण भी लिया था, जो ऋण कब्जे आदि की जांच के बाद ही खातेदार सुरेश के 1/3 हिस्से के लिए के.सी.सी. कार्ड के तहत दिया गया था। प्रार्थी ने महज प्रार्थना पत्र पेश करने की मंशा से जिमन हाजा में तमाम वाकेआत मौका कब्जा व रिकॉर्ड के खिलाफ मनमाने तरीक पर एवं गलत व मिथ्या तथ्यों को आधार बनाकर अंकित किए हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल खारिज है। खसरा नंबर 118 रकबा 2.11 है०, जिसका साबिक खसरा नंबर 87 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा था, का आवंटन सोहनलाल पुत्र शंकरलाल कौम सुनार साकिन थानागाजी को किया गया था। आवंटन दिनांक 18.05.1968 के तहत खातेदारी का अंकन दि० 03.05.1980 को हो गया था। सोहनलाल के फौत होने के बाद उसकी विरासत का इंतकाल चमेली बेवा सोहनलाल के नाम खोला गया। खसरा नंबर 87 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा के बयनामा का इंतकाल संख्या 94 दि० 10.08.1984 को उर्मिला पत्न पूरणमल शर्मा नि० थानागाजी के नाम खोला गया। साबिक नंबर 87 हाल खसरा नंबर 118 रकबा 2.11 है० का विक्रय बाकायदा जरिये बयनामा दिनांक 03.01.2022 पंजीकृत दि० 04.01.2022 प्रार्थीया श्रीमती हेम शर्मा पत्नि श्री रामप्रताप ब्राह्मण निवासी 281 विजय नगर अलवर को किया गया था। उक्त आराजी मौके पर चारदीवारी से महफूज है जिसमें खातेदारों के अपने–अपने हिस्से में फलदार वृक्ष के अलावा नींबू व आंवला के पेड़ भी लगे हुए हैं तथा मकान खसरा नंबर 118 में बना हुआ है। दिनांक 26.05.2022 को खसरा नंबर 106 रकबा 92 ऐयर के खातेदारों की आपसी सहमति के आधार पर तहसीलदार थानगाजी के आदेश से पैमाईश भी की गई थी, जो पैमाईश रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया मय खर्चा खारिज किया जाकर मिन अप्रार्थीगण को प्रार्थीया से विशेष हर्जा दिलाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं :– 2024(1) DNJ (Rev.) 431, 2023 (2) DNJ (Rev.) 1023, 2024(1) DNJ (Rev.) 312, 2024(1) DNJ (Rev.) 185, RRD 2009 Page 99.

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 09.09.1975 को भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मु. मोता पत्नी जगन्नाथ को खसरा नं. 81 (हाल 106) वाके ग्राम अमरा का बास, तहसील थानागाजी, जिला अलवर भूमि का आवंटन किया गया था। इसके उपरान्त 1982 व 1985 में विरासत इंतकाल तथा वर्ष 1990 में खातेदारी दर्ज हो चुकी है, यह दर्शाता है कि आवंटी व उसके वारिस आवंटित भूमि पर कब्जा व काश्त में रहे हैं। खसरा गिरदावरी संवत् 2066 से 2078, तथा बैंक ऋण प्रविष्टियों से यह प्रमाणित है कि आवंटी एवं उसके वारिस लगातार भूमि पर काबिज व काश्तकार रहे हैं। प्रार्थी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने उर्मिला पत्नी पूरणमल से दिनांक 03.01.2022 को खसरा नं. 118 (साबिक नं. 87) का विक्रय पत्र प्राप्त किया है, जो कि विवादित खसरा नं. 106 से

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)
24/12/25

भिन्न है। इस प्रकार प्रार्थी का विवादित खसरा नंबर 106 से कोई प्रत्यक्ष संबंध व अधिकार सिद्ध नहीं होता है। यह तथ्य निर्विवाद है कि आवंटन आदेश को 47 वर्ष पश्चात चुनौती दी गई है। जिसके संबंध में प्रार्थी द्वारा दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने State of Rajasthan Vs. D.R. Laxmi, (1996) 6 SCC 445 में स्पष्ट किया है कि भूमि आवंटन/अधिग्रहण आदेश को दशकों बाद चुनौती देना स्वीकार्य नहीं है। इसी प्रकार Santosh Kumar v. Union of India, (1995) Supp (2) SCC 437 में भी विलंब से उठाई गई चुनौती को अस्वीकार किया गया। न्यायिक दृष्टांत (*Rajendra Singh v. Santa Singh, AIR 1973 SC 2537*). के अनुसार, जहाँ आवंटन आदेश, विरासत इंतकाल, खातेदारी आदेश एवं गिरदावरी प्रविष्टियाँ लंबे समय तक अप्रभावित रही हों, वहाँ प्रार्थी द्वारा विलंब से दायर वाद केवल collateral challenge होता है और उसे खारिज किया जाना चाहिए।

उपरोक्त तथ्यों व दस्तावेजीय साक्ष्यों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि मु. मोता (अप्रार्थी) को किया गया आवंटन विधिसम्मत एवं वैध था। विरासत इंतकाल व खातेदारी आदेश विधिक रूप से पारित हुए हैं तथा वारिसगण (अप्रार्थीगण सं. 1 व 2) वर्तमान में रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार सिद्ध होते हैं। वारिसगण (अप्रार्थीगण सं. 1 व 2) को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। उक्त बिन्दुओं के संबंध में अप्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा पेश नजीरें 2024(1) DNJ (Rev.) 431, 2023 (2) DNJ (Rev.) 1023, 2024(1) DNJ (Rev.) 312, 2024(1) DNJ (Rev.) 185, RRD 2009 Page 99. पूर्णतयाः चस्पा होती हैं। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू–आवंटन नियम, 1970 स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)